# FORM NO -III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर मुकाम नागौर

| प्रार्थी | | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| **काशी**राम पुत्र लालाराम जाति **नाई** निवासी रायधनू तहसील व **जिला** नागौर | बनाम | 1. हेमी बेवा रामचन्द्र जाति गुरडा के कायम मुकामान–<br>1/1रामाराम उर्फ रामनिवास पुत्र रामचन्द्र<br>1/2 नरसीराम पुत्र रामचन्द्र<br>1/3 सहीराम पुत्र रामचन्द्र<br>1/4 लक्ष्मणराम पुत्र रामचन्द्र<br>निवासीगण रायधनु तह. व जिला नागौर<br>2. मनोहरदास, पटवारी हल्का रायधनू, तहसील व जिला नागौर<br>3. शंकरसिंह, तहसीलदार, नागौर। |

**किस्म मुकदमा** राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 31 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.07.2018 | प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार नागौर के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2016 अधीन धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय से पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनाक 13.08.2018 को पेश हो।<br><br>जिला कलक्टर,नागौर | |
| 13/8/18 | वकुलाय उपस्थित।<br>श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय आज ~~प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है~~ अवकाश पर है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16-8-18 को पेश हो। | |
| 16/8/18 | वकुलाय उपस्थित।<br>श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है।पत्रावली आईन्दा दिनांक 20/8/18...को पेश हो। | |
| 20/8/18 | वकील प्रार्थी उपस्थित।<br>वकील प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार नागौर के पीठासीन अधिकारी श्री शंकरसिंह राठौड़ कार्यवाहक तहसीलदार नागौर के विरूद्ध पेश किया है। श्री शंकरसिंह राठौड़ कार्यवाहक तहसीलदार नागौर के स्थान पर श्री अवधेश मीणा आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) का पदस्थापन कर दिया जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परन्तु वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बिना विधिक प्रकिया अपनाये कार्यवाही की जा रही है। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रकरण में विधिक प्रकिया अपनाते हुऐ अग्रिम कार्यवाही करे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर माबदे से कम हो। | |

(कुमार पाल गौतम)
कलक्टर, नागौर